A CM आमेर मु. जयपुर
प्रभात बनाम मुरली
49/2019 Ti

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	1/12/2024	पत्रावली आज दिनांक 1/12/2024 को पेश हुई। पीठा... [illegible] अवकाश पर है ... दिनांक 6/12/2024 ...
	6/12/2024	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट बार द्वारा कन्डोलेन्स हो जाने के कारण पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/12/2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	9/12/2024	पत्रावली पेश हुई। व० फ० 340 पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूलवाद में अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 11 व 13 ता 17 व 12/1 ता 12/5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अतः इस पत्रावली में भी ~~एक प~~। बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। उनको [illegible] सुनी गई। प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] किया जाता है जिसका निर्णय [illegible] लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद संलग्न हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर। १७५

बइजलासः अपर्णा शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना–पत्र संख्या 49/2019

निर्णय दिनांक : 09.12.2021

1. प्रभात पुत्र मंगला (मृतक)
   1/1 राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 प्रभात
   1/2 कल्याणसहाय पुत्र स्व0 प्रभात
   1/3 मोहनलाल पुत्र स्व0 प्रभात
   1/4 मुकेश कुमार पुत्र स्व0 प्रभात
   1/5 श्रीमती केसर देवी पत्नि स्व0 प्रभात
   1/6 श्रीमती सोनी देवी पुत्री स्व0 प्रभात
   1/7 श्रीमती मीनादेवी पुत्री स्व0 प्रभात
2. अर्जुन पुत्र मंगला
3. जाति जाट, निवासीगण – ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर जयपुर।

---प्रार्थीगण

बनाम

1. मुरली पुत्र मंगला जाट,
2. राजू पुत्र स्व0 गुलाबचन्द जाट,
3. रामकुंवार पुत्र स्व0 गुलाबचन्द जाट,
4. कोयली पुत्री स्व0 गुलाबचन्द जाट,
5. नन्छी पुत्री स्व0 गुलाबचन्द जाट,
6. श्रवणी पुत्री स्व0 गुलाबचन्द जाट,
7. सपना उर्फ सजना पुत्री स्व0 गुलाबचन्द जाट,
8. श्रीमती गल्लूदेवी पत्नी स्व0 गुलाबचन्द जाट,
   जाति जाट, निवासी ग्रम उदयपुरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
9. ग्यारसीलाल पुत्र हनुमानसहाय जाट
10. नानूराम पुत्र हनुमानसहाय जाट
11. महेश पुत्र हनुमानसहाय जाट
12. हनुमान पुत्र सेडू (मृतक)
    12/1 धापा देवी पत्नि स्व हनुमान
    12/2 मुरलीधर पुत्र स्व हनुमान
    12/3 सन्ति देवी पत्नि कालुराम पुत्री स्व हनुमान
    12/4 सुनिता देवी पत्नि बलबीर चौधरी पुत्री स्व हनुमान
    12/5 गोकुल पुत्र स्व हनुमान
13. लाडादेवी पत्नि रामनाथ
14. देबू पुत्र सुण्डा (मृतक)
    14/1 श्रीमती जडाव देवी
    14/2 तीजा देवी पुत्री देबू
15. श्रीमती जडावदेवी पत्नि लक्षमण
    समस्त जाति जाट, निवासीगण– ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
16. श्रीमती सन्तोष पत्नि बाबूलाल
17. श्रीमती पतासी पत्नि बृजमोहन
18. जाति जाट, निवासीगण ग्राम सरना चौड, तहसील आमेर, हाल निवासी– ग्राम जयरामपुरा, तहसील– आमेर, जिला जयपुर।
19. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर
20. उप पंजीयक आमेर, तहसील– आमेर, जिला जयपुर।

---अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

१०९

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया हैं कि ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर के रहने वाले काश्तकार व्यक्ति है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। जिनकी पुश्तैनी एवं शामिलाती कृषि भूमि ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर व ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित है। जिसका मनबट से पारिवारिक विभाजन कर सन 1977 से काबिजकाश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण ग्राम जयरामपुरा में स्थित कृषि भूमि में काबिजकाश्त व रियायशी मकानात बनाकर रहते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी कब्जेकाश्त की भूमि ग्राम जयरामपुरा में लाखो रूपया लगाकर काफी उन्नत बनाया है तथा लेवलिंग, बाउण्ड्रीवॉल, बोंरिग, मकानात आदि बनाकर गत 42–43 साल से काबिजकाश्त करते आ रहे है तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमियां निम्न प्रकार है– ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 361 – खसरा नम्बर 455/1764, 455/1870, 456, 457, 458, 459, 460/1765, 461/1766, 462/1767 कुल किता 9 व खाता संख्या 115 खसरा नम्बरान 451/1867, 453/1868, 458/1769, 466/1871, 557/1768 कुल किता 5 रकबा 0.66 हैक्टेयर, रकबा व हक हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार व खाता संख्या 471 – खसरा नम्बरान 432, 446/1865, 455 कुल किता 3 रकबा 3.75 हैक्टेयर, रकबा व हक हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार व खाता संख्या 472 – खसरा नम्बरान 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 कुल किता 7 कुल रकबा 5.65 हैक्टेयर, रकबा व हक हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार।

ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि – खाता संख्या 448 – खसरा नम्बरान 2027, 2031,2041, 2042, 2053/2455, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2066, 2067, 2068, 2100, 2105, कुल किता 15 कुल रकबा 4.18 हैकटेयर, रकबा व खाता संख्या 449 – खसरा नम्बरान 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2098, 2099, 2103, 2109, 2110, 2120, 2123, कुल किता 13 कुल रकबा 2.73 हैक्टेयर, रकबा स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के पूर्व हक अधिकारी मंगल पुत्र नौला का स्वर्गवास वष 1985 में हो गया है। उक्त प्रार्थीगण एवं अप्राथी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 के पूर्व हक अधिकारी गुलाब के मध्य आपसी सहमति, रजामन्दी व स्वेच्छापूर्वक कृषि भूमि का पारिवारिक बंटवारा दिनांक 27.06.1977 को तहरीर व तकमील किया गया। जिसमें मौजीज व्यक्ति नारायणलाल, गणेश व

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

106

मोतीराम बतौर साक्षी मौजुद थे तथा चारो भाई प्रभात, अर्जुन, गुलाब व मुरली के हस्ताक्षर निशानी बंटवारेनामे पर है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 सन 1977 से पारिवारिक बंटवारा के अनुसार अपनी अपनी भूमि पर काबिजकाश्त चले आ रहे है। पारिवारिक बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण ने अपना हक हिस्सा ग्राम उदयपुरिया में स्थित भूमि में अप्रार्थी मुरली व गुलाब के (अब मृतक) हक में छोड दिया था। इसी प्रकार मुरली व गुलाबचन्द ग्राम जयरामपुरा मे स्थित कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा प्रार्थीगण के हक में छोड दिया था।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 लगायत 8 के पिता गुलाबचन्द ने कृषि भूमि के साथ साथ पारिवारि चल–अचल सम्पति का भी विभाजन किया था। पारिवारिक बंटवारे पर चारो भाईयों ने गवाहान के समक्ष स्वेच्छापूर्वक अपने अपने हस्ताक्षर निशानी की थी तथा उक्त पारिवारिक बंटवारे की रूह के अनुसार ही आज पालना करते हुए अपने हक हिस्से की सम्पति पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के मन में घोर बदनीयति आ गयी है तथा कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावें में आकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 ने दिनांक 17.06.2019 को ग्राम जयरामपुरा स्थित कृषि भूमि में दो ट्रेक्टरों व ट्रोली सहित 15–20 अजनबी आदमियों के साथ सुबह करीब 9–10 बजे यकायक आये तथा एक ट्रेक्टर ट्रोली में से गेती, फावडे, व सीमेंट के पीलर व तार उतरने लगे तथा दूसरे ट्रेक्टर जिसमें हल लगे हुए थे, प्रार्थीगण के खेत में काश्त करने पर उतारू हो गये। प्रार्थीगण को जानकारी होते ही गांव के कुछ मौजीज लोगो को ले जाकर अप्रार्थीगण को मना किया तो वे मरने मारने पर उतारू हो गये तथा लाठी सरियों से प्रभात व अर्जुन के चोटे पहुचाने लगे तथा औरतो को भी गाली–गलोच करने लगे। गांव के लोगो ने मना किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि यह जमीन आज भी हमारे नाम है। हम इसे बेचान करेंगें तथा खरीददार के ये लोग आये है उनका कब्जा करायेगें। इस पर सारा गांव इकठ्ठा हो गया और कहने लगे कि 40 साल से तो यहां की जमीन प्रभात व अर्जुन ही जोतते आ रहे है। तुम्हारे पिता के सामन ही तुमने राजीखुशी बंटवारा व हिसाब किया था। अब तुम कैसे कब्जा कर सकते हो, हम तम्हरा साथ नहीं देंगे, जिससे वे लोग अवैध कब्जा करने से रूक गये। इतने में ही पुलिस को किसी ने इत्तिला दी तब पुलिस ने धारा 151 [illegible] फौजदारी मे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कया। किन्तु अप्रार्थी[illegible] पर [illegible]न कब्जा करने की धमकिया दे रहे है। जिससे दावा घोषणा, [illegible] एवं [illegible] निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ। तथा प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि ग्[illegible] जयरामपुरा में स्थित के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वे प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

107

दखलन्दाजी, बेजामजाहमत न करे ना करावे बेचान, हस्तान्तरण एवं जबरन कब्ज न करे ना करावे।

ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू में स्थित कृषि पक्षकरान के पूर्व हक अधिकारी मंगला के नााम खातेदारी में थी किन्तु जयरामपुरा में स्थित कृषि भूमि सिवाय चक भूमि थी। जिसके बाबत् मंगला ने नियमन कार्यवाही करवायी थी। किन्तु गैरखातेदारी ही की गयी थी। उसके पश्चात प्रार्थीगण ने विभाजन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये थे। अप्रार्थीगण मुरली व गुलाबचन्द ने ग्राम जयरामपुरा की भूमि में विवाद होने के कारण पारिवारिक बंटवारे में शुद्व एवं अविवादित भूमि ही लेना ही स्वीकार किया था तथा ग्राम जयरामपुरा की भूमि में हक हिस्सा स्वेच्छापूर्वक छोड दिया था। प्रार्थीगण ने ग्राम जयरामपुरा में स्थित भूमि हेतु नियमन कार्यवाही करके रकबा में बढोतरी करवायी थी। जिससे भी अप्रार्थीगण के मन में अब बदनीयति उत्पन्न हो गयी है।

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के मद नंबर 3 उपमद क में वर्णित कृषि भूमि मे अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जेकश्त, उपयोग–उपभोग मे बेजादखलन्दाजी व मजाहमत न करने तथा प्रार्थीगण को वादग्रत भूमि से जबरन बेदखल न करे तथा वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति में किसी प्रकार हेर–फेर, परिवर्तन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को एवं भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के किस्म व सपरिवर्तन आनि न करने हेतु अप्रार्थी संख्या 18 व 19 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की ओर से जवाब प्रा0पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 एक ही परिवार के होना स्वीकार है शेष गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण का यह कहना कतई गलत है कि प्रार्थीगण ग्राम जयरामपुरा में स्थित कृषि भूमि पर लैश मात्र भी कब्जा व काश्त नहीं है। यह भी गलत है कि प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि को कभी उन्न्त बनाया हो और उसे लेवलिंग, बाउण्ड्रीवाल, बोरींग मकान आदी बनाकर कभी काबिज काश्त करते रहे हो और उसका लगान आदि कभी दिया हो। प्रार्थीगण [illegible] यों के आधार पर प्रा0पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रा0प. के मद नम्बर 4 में श्री मंगला पुत्र स्व0 नौला का स्वर्गवास 1985 में होना स्वीकार है। शेष गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कहना कतई गलत व झुठ है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नम्बर 1 के पिता स्व0 श्री मंगला पुत्र स्व0 नौला और

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के पिता स्व0 श्री गुलाब के मध्य दिनांक 27.06.1977 को कभी आपसी सहमती, रजामंदी स्वेच्छापूर्वक उपरोक्त कृषि भूमि का कोई पारिवारिक बंटवारा तहरीर व तकमील किया गया हो। प्रार्थीगण ने यदि ऐसा कोई फर्जी या बनावटी पारिवारिक बंटवारानामा तैयार कर लिया हो तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 उससे पाबंद नहीं है तथा ऐसा कोई दस्तावेज हो तो वह प्रारम्भ से ही शुन्य व निष्प्रभावी है। अप्रार्थी नम्बर 1 ता 8 के पूर्वजो ने ऐसा कोई रजिस्टर्ड या अन्य कोई दस्तावेज तहरीर नहीं कराया है तथा 1977 में पारीवारिक बंटवारा हुआ ही नही तो प्रार्थीगण ने अपना हक व हिस्सा ग्राम उदयपुरिया कुषि भुमि कभी नहीं छोडा है इस संबंध में ऐसा कोई प्रमाण/दस्तावेज भी प्रार्थीगण के पास नहीं है। इस प्रकार कभी किसी पक्ष ने कोई हक व हिस्सा किसी के हक में नहीं छोडा है। प्रार्थीगण केवल काल्पनिक आधार पर प्रा0पत्र. विरूद्व अप्रार्थीगण न01 लगायत 8 के विरूद्व बिना किसी कारण के पेश किया है। जो कानूनन पोषणीय नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 उपस्थित। पूर्व में मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 व 13 ता 17 पर एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 12/1 ता 12/5 आज भी अनुपस्थित अतः एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी/वादी की ओर से कानूनी नजीरें RRT 2011(1), Page 681, RRT 2016-17 (SUPP) Page 167, RRT 2016-17 (SUPP) Page 670, RRT 2013(1) Page 682, RRT 2013(1) Page 515 पेश की साथ ही वाद संख्या 70/2017 बउनवानी मूरलीधर बनाम प्रभात बाबत् बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा अंतगर्त धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया।

अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से कानूनी नजीरें 2015 RRD 208, 2007 (2) RRT 945, 1965 RRD 69 पेश किया गया।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र अंकित हैं। हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रतिलिपि वाद संख्या 70/2017 बउनवानी मूरलीधर बनाम प्रभात बाबत् बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा अंतगर्त धारा 183 से स्पष्ट है कि कब्जे की अवधारणा प्रार्थी के पक्ष में है

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जिससे प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा यदि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करते हैं तो प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा जिससे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण पारिवारिक सम्पति को लेकर हक सम्बन्धी सद्भाविक विवाद प्रतीत होता है एवं इस प्रकार के हक सम्बन्धी विवाद की विषयवस्तु के परीक्षण – संरक्षण के लिए तथा उसे खुर्द बुर्द होने से रोकने के लिए वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए वाद के अन्तिम निस्तारण तक उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते है। इस संबंध में RRT 2004 P.497 पर प्रकाशित फैसला महत्वपूर्ण है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को विवादित आराजीयात् की सुरक्षार्थ जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि आराजी खाता संख्या 361 – खसरा नम्बर 455/1764, 455/1870, 456, 457, 458, 459, 460/1765, 461/1766, 462/1767 कुल किता 9 व खाता संख्या 115 खसरा नम्बरान 451/1867, 453/1868, 458/1769, 466/1871, 557/1768 कुल किता 5 रकबा 0.66 हैक्टेयर, रकबा व हक हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार व खाता संख्या 471 – खसरा नम्बरान 432, 446/1865, 455 कुल किता 3 रकबा 3.75 हैक्टेयर, रकबा व हक हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार व खाता संख्या 472 – खसरा नम्बरान 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 कुल किता 7 कुल रकबा 5.65 हैक्टेयर, वाके ग्राम जयरामपुरा पटवार तहसील आमेर जिला जयपुर पर वे ता–फैसल वाद किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें तथा विशिष्ठ भू–भाग का बेचान न करे व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner